

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार मा0प्र0से0.
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली/सिवान/सीतामढ़ी/भागलपुर/पटना/सहरसा/लखीसराय/मधेपुरा/बेगूसराय/रोहतास/सुपौल/शिवहर
/मधुबनी/पश्चिम चम्पारण/कैमूर/जमुई/भोजपुर/गया/अरवल/बक्सर/पूर्वी चम्पारण/बाँका/पूर्णियाँ/
अररिया/जहानाबाद/सारण/नालंदा/मुंगेर/समस्तीपुर।

पटना-15, दिनांक- 15/5/17

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष
-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से
राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मद में कुल ₹ 1182.65 लाख (ग्यारह करोड़ बेयासी लाख पैसठ हजार
रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण
राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की
आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत।

उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या- 39 विस्तृत शीर्ष- 37-अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष- 01-अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

क्र०	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वैशाली	5	0	2	0.00 (शून्य)	20.46 (बीस लाख छियालीस हजार)	20.46 (बीस लाख छियालीस हजार)	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
2	सिवान	4	0	0	0.00 (शून्य)	16.00 (सोलह लाख)	16.00 (सोलह लाख)	गैस लिक, सामूहिक सड़क दुर्घटना
3	सीतामढ़ी	9	1	0	0.00 (शून्य)	36.127 (छत्तीस लाख बारह हजार सात सौ)	36.127 (छत्तीस लाख बारह हजार सात सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
4	भागलपुर	9	0	0	0.00 (शून्य)	36.00 (छत्तीस लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)	वज्रपात, अतिवृष्टि, पानी में डूबने से
5	पटना	5	0	0	0.00 (शून्य)	20.00 (बीस लाख)	20.00 (बीस लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
6	सहरसा	44	18	0	0.00 (शून्य)	176.774 (एक करोड़ छिहत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ)	176.774 (एक करोड़ छिहत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
7	लखीसराय	2	0	0	0.00 (शून्य)	8.00 (आठ लाख)	8.00 (आठ लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
8	मधेपुरा	9	1	0	0.00 (शून्य)	36.043 (छत्तीस लाख चार हजार तीन सौ)	36.043 (छत्तीस लाख चार हजार तीन सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
9	बेगूसराय	23	0	0	0.00 (शून्य)	92.00 (बानवे लाख)	92.00 (बानवे लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
10	रोहतास	1	0	0	0.00 (शून्य)	4.00 (चार लाख)	4.00 (चार लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
11	सुपौल	1	0	0	0.00 (शून्य)	4.00 (चार लाख)	4.00 (चार लाख)	पानी में डूबने से
12	शिवहर	3	0	0	0.00 (शून्य)	12.00 (बारह लाख)	12.00 (बारह लाख)	पानी में डूबने से
13	मधुबनी	4	0	0	0.00 (शून्य)	16.00 (सोलह लाख)	16.00 (सोलह लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
14	पश्चिम चम्पारण	2	0	0	0.00 (शून्य)	8.00 (आठ लाख)	8.00 (आठ लाख)	वज्रपात
15	कैमूर	6	0	0	0.00 (शून्य)	24.00 (चौबीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	पानी में डूबने से
16	जमुई	2	0	0	0.00 (शून्य)	8.00 (आठ लाख)	8.00 (आठ लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना

17	भोजपुर	3	0	0	0.00 (शून्य)	12.00 (बारह लाख)	12.00 (बारह लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
18	गया	4	0	0	0.00 (शून्य)	16.00 (सोलह लाख)	16.00 (सोलह लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
19	अरवल	1	0	1	0.00 (शून्य)	4.30 (चार लाख तीस हजार)	4.30 (चार लाख तीस हजार)	वज्रपात
20	बक्सर	9	0	0	0.00 (शून्य)	36.00 (छत्तीस लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)	अतिवृष्टि, सामूहिक सड़क दुर्घटना
21	पूर्वी चम्पारण	16	0	0	0.00 (शून्य)	64.00 (चौसठ लाख)	64.00 (चौसठ लाख)	वज्रपात, पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
22	बाँका	3	0	0	0.00 (शून्य)	12.00 (बारह लाख)	12.00 (बारह लाख)	वज्रपात
23	पूर्णियाँ	70	2	0	0.00 (शून्य)	280.086 (दो करोड़ अस्सी लाख छियासी हजार)	280.086 (दो करोड़ अस्सी लाख छियासी हजार)	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
24	अररिया	24	18	0	0.00 (शून्य)	96.86 (छियानवे लाख छियासी हजार)	96.86 (छियानवे लाख छियासी हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात
25	जहानाबाद	24	0	0	0.00 (शून्य)	96.00 (छियानवे लाख)	96.00 (छियानवे लाख)	पानी में डूबने से
26	सारण	3	0	0	0.00 (शून्य)	12.00 (बारह लाख)	12.00 (बारह लाख)	पानी में डूबने से
27	नालंदा	6	0	0	0.00 (शून्य)	24.00 (चौबीस लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
28	मुंगेर	1	0	0	0.00 (शून्य)	4.00 (चार लाख)	4.00 (चार लाख)	वज्रपात
29	समस्तीपुर	2	0	0	0.00 (शून्य)	8.00 (आठ लाख)	8.00 (आठ लाख)	वज्रपात, पानी में डूबने से
कुल योग		295	40	3	0.00 (शून्य)	1182.65 (ग्यारह करोड़ बेयासी लाख पैसठ हजार)	1182.65 (ग्यारह करोड़ बेयासी लाख पैसठ हजार)	

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 296 दिनांक 22.04.17, 192 दिनांक 17.03.17, 233 दिनांक 30.03.17, 236 दिनांक 30.03.17 एवं 235 दिनांक 30.03.17/ सिवान के पत्रांक 256 दिनांक 27.04.17, 213 दिनांक 12.04.17, 212 दिनांक 12.04.17 एवं 3 दिनांक 30.04.17/ सीतामढ़ी के पत्रांक 156 दिनांक 25.04.17 एवं 106 दिनांक 11.03.17/ भागलपुर के पत्रांक 306 दिनांक 25.05.16 एवं 154 दिनांक 21.03.17/ पटना के पत्रांक 1039 दिनांक 09.09.16, 1023 दिनांक 06.09.16, 1024 दिनांक 06.09.16 एवं 1020 दिनांक 06.09.16/ सहरसा के पत्रांक 530-2 दिनांक 28.09.16, 97-2 दिनांक 25.03.17 एवं 98-2 दिनांक 25.03.17/ लखीसराय के पत्रांक 462 दिनांक 14.10.16/ मधेपुरा के पत्रांक 200 दिनांक 15.04.17, 122 दिनांक 18.03.17, 137 दिनांक 25.03.17, 130 दिनांक 23.03.17 एवं 226 दिनांक 02.05.17/ बेगूसराय के पत्रांक 141 दिनांक 23.03.17, 139 दिनांक 23.03.17 एवं 140 दिनांक 23.03.17 / रोहतास के पत्रांक 44 दिनांक 21.02.17/ सुपौल के पत्रांक 318-2 दिनांक 05.05.17/ शिवहर के पत्रांक 76 दिनांक 15.04.17 / मधुबनी के पत्रांक 83 दिनांक 06.03.17/ पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 23 दिनांक 25.03.17/ कैमूर के पत्रांक 182 दिनांक 25.04.17 एवं 180 दिनांक 15.04.17/ जमुई के पत्रांक 47 दिनांक 29.03.17/ भोजपुर के पत्रांक 191 दिनांक 25.03.17 एवं 512 दिनांक 12.09.16/ गया के पत्रांक 780 दिनांक 21.03.17 एवं 778 दिनांक 21.03.17/ अरवल के पत्रांक 58 दिनांक 15.03.17 एवं 61 दिनांक 16.03.17/ बक्सर के पत्रांक 03-0587 दिनांक 21.03.17 एवं 03-0585 दिनांक 21.03.17/ पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 48 दिनांक 24.03.17 एवं 49 दिनांक 24.03.17/ बाँका के पत्रांक 66 दिनांक 16.03.17/ पूर्णियाँ के पत्रांक 144 दिनांक 07.03.17, 142 दिनांक 07.03.17 एवं 141 दिनांक 07.03.17/ अररिया के पत्रांक 300 दिनांक 23.03.17 जहानाबाद के पत्रांक 293 दिनांक 01.03.17/ सारण के पत्रांक 144 दिनांक 22.02.17/ नालंदा के पत्रांक 270 दिनांक 10.04.17/ मुंगेर के पत्रांक 178 दिनांक 03.05.17/ समस्तीपुर के पत्रांक 226 दिनांक 23.03.17 द्वारा की गई अध्यायना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है। संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों/ घायल व्यक्तियों/ पशुमालिकों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।

5. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रताशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फ़ैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक-14/...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 15/5/17
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक-14/...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 15/5/17
प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक-14/...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 15/5/17
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक -14/...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 15/5/17
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक-14/...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 15/5/17
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/साख्यकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव